

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2005

का.आ. 392(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 844 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सहयोग कुष्ठयज्ञ ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर क्रासिंग, जिला साबरकांठा, गुजरात-383276 द्वारा साबरकांठा जिला, गुजरात में मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए रिहायशी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपस्कर, साज-सामान और चलाने के लिए कर निर्धारण वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 213 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 565 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था; और जबकि दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० सां० आ० 213 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 17.43 लाख रुपए से बढ़ाकर 35.70 लाख रुपए किया गया था और जिसे बाद में 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 565 (अ०) द्वारा संशोधित किया गया था तथा अनुमानित लागत को 35.70 लाख रुपए से बढ़ाकर 93.30 लाख रुपए किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस

समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 ~~अध~~ 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहयोग कुष्ठयज्ञ ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर क्रासिंग, जिला सबरकांठा, गुजरात-383276 द्वारा सबरकांठा जिला, गुजरात में चलाए जा रहे मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए रिहायशी प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपस्कर, साज-सामान और चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत अर्थात् 93.30 लाख रुपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 103/2005/फा. सं. एनसी-270/01/2005]

डी.पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)